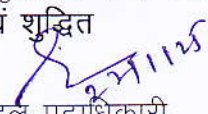


अनुमंडल मधुपुर जिला-देवघर के द्वारा विपक्षी आनन्दी महतो
 RE Case No. 36/12-18
 गुलाम महतो का नाम आनन्दी महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
22.01.25	आदेश प्रस्तुत आर०ई० वाद संख्या-36/2017-18 (गुलाम महतो -बनाम-आनन्दी महतो) आवेदक-गुलाम महतो, पिता-जीयन महतो, सा०-फुलडोभा, अंचल-सारठ जिला-देवघर के द्वारा विपक्षी आनन्दी महतो, पिता-भुकलो महतो एवं विरेन्द्र महतो, पिता-आनन्दी महतो, सा०-फुलडोभा, अंचल-सारठ, जिला-देवघर को मौजा-फुलडोभा, जमाबंदी नं०-2, प्लॉट संख्या-99, रकवा-0.19 एकड़ भूमि के अंश रकवा-0.04 एकड़ भूमि से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। इस न्यायालय के ज्ञापांक-619/डी०बी०, दिनांक-11.11.2017, ज्ञापांक-311/डी०बी०, दिनांक-21.20.2018, ज्ञापांक-98/डी०बी०, दिनांक-06.02.2019, ज्ञापांक-348/डी०बी०, दिनांक-23.11.2020 एवं ज्ञापांक-219/डी०बी०, दिनांक-23.03.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, सारठ से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-904/रा०, दिनांक-30.05.2018, पत्रांक-25/रा०, दिनांक-09.01.2020 एवं पत्रांक-375/रा०, दिनांक-29.04.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण-पृच्छा की मांग की गई। विपक्षी का कारण-पृच्छा प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। उभय पक्षों के विज्ञा अधिवक्ता को सुना तथा उभय पक्षों के द्वारा समर्पित सूचीबद्ध कागजातों एवं विपक्षी के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा तथा अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, सारठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-फुलडोभा, जमाबंदी नं०-2, दाग नं०-99, किरम-बाड़ी दोयम, रकवा-0.19 एकड़ भूमि जमाबंदी रैयत कोदो महतो वो खुदु महतो, पे०-भगीरथ महतो के नाम से दर्ज है। आवेदक प्रथम पक्ष-गुलाम महतो खतियानी रैयत के वंशज है। द्वितीय पक्ष का जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी द्वारा कुर्फा की छायाप्रति दिया गया है। उक्त दाग नम्बर के अंश रकवा-0.04 एकड़ भूमि पर विपक्षी आनन्दी महतो का मकान है, जिसमे लगभग 40 वर्षों से पूर्व से ही रह रहे हैं। अंचल अधिकारी, सारठ के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी विषयगत भूमि पर 40 वर्षों से भी अधिक दिनों से घर मकान बना कर दखलदार के रूप में निवास करते आ रहे हैं, जो रैयती भूमि पर अतिक्रमण का मामला बनता है तथा संताल परगना काश्तकारी अधिनिय 1949 की धारा-20 एवं 42 के प्रावधान के विरुद्ध है। उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विपक्षी को अतिक्रमित (घर छोड़कर) भूमि से उच्छेद किया जाता है। तदनुसार उच्छेदी परवाना निर्गत करें। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।	ज्ञापांक 208 दिनांक 13.2.25